



Neutral Citation No. 2026:AHC:64553

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

बीएनएसएस की धारा 528 के तहत आवेदन संख्या – 49826 वर्ष 2025

चांद खान और 3 अन्य

.....आवेदक(कों)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....विपक्षी(यों)

आवेदक(कों) के अधिवक्ता : अशोक कुमार सिंह

विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या – 79

माननीय न्यायमूर्ति अरविश सक्सेना

1. विपक्षी पार्टी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री राजीव कुमार ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। इसे अभिलेख में दर्ज कर लिया गया है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”

2. अभियुक्त/आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता श्री अशोक कुमार सिंह, विपक्षी पार्टी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना।

3. धारा 528 बीएनएसएस के तहत तत्काल आवेदन आवेदक द्वारा मामला संख्या 1092 वर्ष 2025 (राज्य बनाम बाबू खान और अन्य) की संपूर्ण कार्यवाही को रद्द करने के लिए दायर किया गया है, जो मामला अपराध संख्या 147 वर्ष 2025, धारा 115(2), 351(2), 351(3), 352, 333, 110 बीएनएस, पुलिस स्टेशन- बहादुरगढ़, जिला- हापुड़ के अंतर्गत, अतिरिक्त सिविल जज (जूनियर डिवीजन)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, गढ़मुक्तेश्वर, हापुड़ की न्यायालय के समक्ष लंबित है।

4. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं का तर्क है कि प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा यह आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई गई है कि आवेदकों ने प्रतिवादी संख्या 2 के बेटे को 10.06.2025 को पीटा था। इस एफआईआर का पंजीकरण 12.06.2025 को हुआ था। पक्षकार पड़ोसी हैं। दोनों पक्षों के बीच कुछ विवाद था। दोनों पक्षों ने अपने मतभेद भुलाकर समझौता कर लिया है, जो आवेदन के पृष्ठ संख्या 84 पर है। अतः इस न्यायालय से हस्तक्षेप की मांग की जाती है।

5. राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं किया कि यदि पक्षकार दी गई परिस्थितियों में समझौता दाखिल करने के लिए विचारण न्यायालय में जाएं।

6. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य जो (2012) 10 एससीसी 303 में प्रकाशित मामले में पक्षकारों के बीच हुए समझौते पर विचार करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 के संदर्भ में उच्च न्यायालय के अंतर्निहित क्षेत्राधिकार पर विचार किया है और यह टिप्पणी की है कि न्याय के उद्देश्यों की रक्षा करने

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



और न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए उच्च न्यायालय के अंतर्निहित क्षेत्राधिकार के गैर समझौता योग्य मामला का प्रयोग किया जाना चाहिए। प्रासंगिक अनुच्छेद 61, जो उस मामले का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करता है जिसमें उच्च न्यायालय को कार्यवाही रद्द करने की शक्ति का प्रयोग करना चाहिए, नीचे दोहराया गया है:—

“...किसी आपराधिक कार्यवाही, या एफआईआर या शिकायत को रद्द करने की उच्च न्यायालय की शक्ति उसके अंतर्निहित अधिकारिता का प्रयोग करने की शक्ति, संहिता की धारा 320 के तहत अपराधों के निपटारे के लिए आपराधिक न्यायालय को दी गई शक्ति से भिन्न और अलग है। अंतर्निहित शक्ति व्यापक है और इस पर कोई वैधानिक सीमा नहीं है, लेकिन इसका प्रयोग ऐसी शक्ति में निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाना चाहिए, जैसे: (i) न्याय के उद्देश्यों की रक्षा करना या (ii) किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकना। किन मामलों में आपराधिक कार्यवाही, या शिकायत या एफआईआर को रद्द करने की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है, जहां अपराधी और पीड़ित ने अपना विवाद सुलझा लिया हो, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा और कोई श्रेणी निर्धारित नहीं की जा सकती। हालांकि, ऐसी शक्ति का प्रयोग करने से पहले, उच्च न्यायालय को अपराध की प्रकृति और गंभीरता पर उचित ध्यान देना चाहिए। मानसिक विकृति के जघन्य और गंभीर अपराध या हत्या, बलात्कार, डकैती आदि जैसे अपराधों को उचित रूप से रद्द नहीं किया जा सकता है, भले ही पीड़ित या पीड़ित के परिवार और अपराधी ने विवाद सुलझा लिया हो। ऐसे अपराध निजी प्रकृति के नहीं होते और समाज पर गंभीर प्रभाव डालते हैं। इसी प्रकार, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जैसे विशेष कानूनों के अंतर्गत आने वाले अपराधों या लोक सेवकों द्वारा अपने पद पर रहते हुए किए गए अपराधों आदि के संबंध में पीड़ित और अपराधी के बीच कोई भी समझौता, ऐसे अपराधों से संबंधित आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने का आधार नहीं बन

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”

सकता। लेकिन जिन आपराधिक मामलों में अधिकांशतः दीवानी पक्ष का समर्थन होता है, उन्हें रद्द करने के उद्देश्य से अलग माना जाता है, विशेष रूप से वाणिज्यिक, वित्तीय, व्यापारिक, दीवानी, साझेदारी या इसी प्रकार के लेन-देन से उत्पन्न अपराध, या दहेज से संबंधित वैवाहिक अपराध, आदि, या पारिवारिक विवाद जहां गलती मूलतः निजी या व्यक्तिगत प्रकृति की होती है और पक्षों ने अपना पूरा विवाद सुलझा लिया होता है। इस श्रेणी के मामलों में, उच्च न्यायालय आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर सकता है यदि उसकी राय में, अपराधी और पीड़ित के बीच समझौते के कारण, दोषसिद्धि की संभावना बहुत कम है और आपराधिक मामले को जारी रखने से आरोपी को भारी उत्पीड़न और पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ेगा और पूर्ण और संपूर्ण निपटान और समझौते के बावजूद आपराधिक मामले को रद्द न करने से पीड़ित के साथ साथ घोर अन्याय होगा। दूसरे शब्दों में, उच्च न्यायालय को यह विचार करना होगा कि क्या आपराधिक कार्यवाही जारी रखना अनुचित या न्याय के हित के विरुद्ध होगा, या क्या पीड़ित और अपराधी के बीच समझौता होने के बावजूद आपराधिक कार्यवाही जारी रखना विधि का दुरुपयोग होगा, और क्या न्याय के उद्देश्यों की रक्षा के लिए आपराधिक मामले को समाप्त करना उचित है। यदि उपरोक्त प्रश्न का उत्तर सकारात्मक है, तो उच्च न्यायालय आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर होगा।

7. क्या पक्षों (सूचनादाता, पीड़ित और आरोपी) के बीच समझौता हुआ है, इसका निर्णय विचारण न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है। इस प्रकार, पक्षकार विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर तीस दिनों के भीतर पक्षकारों के बीच हुए समझौते को दाखिल कर सकते हैं, जिसकी विचारण न्यायालय द्वारा पुष्टि की जाएगी। विचारण न्यायालय मूल प्रति को अपने अभिलेख में रखेगी।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



8. यदि शिकायतकर्ता, पीड़ित और आरोपी हस्ताक्षरकर्ता न हों और अपने सत्यापन के लिए न्यायालय के समक्ष उपस्थित न हों, तो विचारण न्यायालय किसी भी प्रकार के समझौते पर विचार नहीं करेगी। अत्यावश्यकता की स्थिति में, विचारण न्यायालय उचित विचार-विमर्श करके उचित आदेश पारित करेगी।

9. यदि समझौता निर्धारित अवधि के भीतर दाखिल और सत्यापित कर लिया जाता है, तो विचारण न्यायालय की कार्यवाही **साठ दिनों** की अवधि के लिए स्थगित रखी जाएगी; अन्यथा, विचारण न्यायालय विचारण की कार्यवाही जारी रखेगी।

10. समझौता प्रस्तुत करने और उसे सत्यापित करवाने वाले सभी पक्षकार आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए इस न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए एक संयुक्त आवेदन दाखिल करेंगे।

11. उपरोक्त के मद्देनजर, धारा 528 बीएनएसएस/482 सीआरपीसी के तहत दायर आवेदन का तदनुसार **निपटारा** किया जाता है।

(न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना)

28 मार्च, 2026

शिवंगी

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”